149

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

अधि0 सं0:- 3296111 /पटना, दिनांक :- 24/10/24

सं0सं0-ग्रा0वि0-14(द0) मधु0- 06/2016

श्री अमरेन्द्र कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुर, मधुबनी संप्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुरैनी, मधेपुरा के विरूद्ध वितीय वर्ष- 2014-15 एवं 2015-16 में मधेपुर प्रखंड में इंदिरा आवास योजना के लाभुकों के चयन में अनियमितता एवं राशि के भुगतान में गबन व दुर्विनियोग के आरोप में जिला पदाधिकारी मधुबनी के पत्रांक- 1328/ जि0स्था0 दिनांक- 27.07.2016 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया।

उक्त आरोपों पर श्री कुमार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक- 1290 दिनांक- 02.08.2019 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया । जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा मंतव्य में श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को 'स्वीकार योग्य नहीं' प्रतिवेदित किया गया है।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप गंभीर प्रकृति एवं वित्तीय गबन से संबंधित होने के कारण आरोपों की वृहत जाँच हेतु विभागीय संकल्प सं0- 444885 दिनांक- 23.10.2019 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई ।

उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक- 1099 (JJHM) दिनांक- 24.11.2023 से समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरूद्ध धारित सभी आरोपों पर समर्पित स्पष्टीकरण को 'स्वीकार योग्य नहीं' प्रतिवेदित किया गया है ।

विभाग द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध प्राप्त आरोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18(3) के तहत श्री कुमार को जाँच प्रतिवेदन की छाया प्रति उपलब्ध कराते हुए उनसे लिखित अभ्यावेदन की माँग की गई है ।

श्री कुमार द्वारा दिनांक- 18.01.24 को समर्पित लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री कुमार द्वारा उक्त लिखित अभ्यावेदन में न तो कोई ठोस साक्ष्य और न ही कोई ठोस बिन्दु प्रस्तुत किया गया है । इनका लिखित अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया ।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध आरोप, श्री कुमार के स्पष्टीकरण, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं उक्त जाँच प्रतिवेदन पर श्री कुमार द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन की पुनः समीक्षा की गई । समीक्षा से स्पष्ट होता है कि श्री कुमार द्वारा कार्यालय के तीन कर्मियों की मिलीभगत से वरीयता क्रम की अनदेखी कर प्रतीक्षा सूची/बी0पी0एल0 सूची से हट कर गलत ढंग से इंदिरा आवास का लाभ दिया गया । रोकड़पंजी एवं एडवाइस में भी 3,27,95,000.00/- रूपये की राशि का अंतर है । इतनी बड़ी राशि लगातार एक वर्ष तक निकासी होती रही और श्री कुमार को इसकी जानकारी नहीं हुई । इस प्रकार, श्री कुमार द्वारा लिपिकों की संलिप्तता से सरकारी योजना की बहुत बड़ी राशि का गबन एवं दुरूपयोग किया गया ।

उल्लेखनीय है कि इंदिरा आवास योजना में अनियमितता के आरोपों पर श्री कुमार के विरूद्ध दर्ज मधेपुर थाना कांड सं0- 43/2016 दिनांक- 14.07.2016 एवं मधेपुर थाना कांड सं0- 06/2016 दिनांक- 23.01.2016 में विधि विभाग, बिहार, पटना के आदेश क्रमशः आदेश सं0- 22/जे0 दिनांक- 13.02.2020 एवं आदेश सं0- 318/जे0 दिनांक- 14.06.2023 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरांत श्री अमरेन्द्र कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुर, मधुबनी संप्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुरैनी, मधेपुरा के विरूद्ध इंदिरा आवास योजना के लाभुकों के चयन में अनियमितता एवं राशि के भुगतान में गबन व दुर्विनियोग के प्रमाणित आरोपों के लिए इनके विरूद्ध 'संचयी प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक' का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया हैं।

अतएव श्री अमरेन्द्र कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुर, मधुबनी संप्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुरैनी, मधेपुरा के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली) 2005 के नियम- 14 (VI) के तहत 'संचयी प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक' का दंड अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश दिया जाता है कि उक्त शास्ति की प्रविष्टि श्री कुमार की चारित्री/ सेवा पुस्त में की जाय ।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को भेज दिया जाय।

22.10.24

(मन्जु प्रसाद)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 3296/11 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 24/10/24

ई-मेल/ निबंधित

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में, सी0डी0 सहित) बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषाग), विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

22.10.24

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 3296/11 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 24/10/24

निबंधित/ ईमेल/ चपरासी बही/ बंधित/

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, मधुबनी एवं मधेपुरा/ उप विकास आयुक्त, मधुबनी एवं मधेपुरा / कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी एवं मधेपुरा / प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा- 03/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा-03, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / श्री अमरेन्द्र कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुर, मधुबनी संप्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुरैनी, मधेपुरा/ आई.टी.मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग (विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्श करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.10.24

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 3296/11 / पटना, दिनांक :- 24/10/24

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

22.10.24

संयुक्त सचिव